उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून,उत्तराखण्ड

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन न० 0135—2669658 फैक्स न0 0135—2672902

विज्ञापन संख्या— 07/उ0अ0से0च0आ0/2016 विज्ञापन तिथि— 13 अक्टूबर, 2016

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि— 14 अक्टूबर, 2016

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि— 14 नवम्बर, 2016

।। विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत बैकलॉग के रिक्त पदों की विज्ञप्ति ।।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के रिक्त 84 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—(आयु की गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2016 है।)

• विभिन्न विभागों, में कम्प्यूटर सहायक/कनिष्ठ सहायक के रिक्त 39 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
61	61.1	सचिवालय प्रशासन विभाग	**03** [(SC-01, SC(WO)-01, SC(PH)(श्रवणह्रास)-01)] **(कम्प्यूटर सहायक)** आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200 **ग्रेड वेतन—रु 2,400**	**<u>शैक्षिक अर्हताएं—</u>** 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यनूतम 4000 की—डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घन्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस (M.S.Office) का ज्ञान। 3. अन्य बातों के समान होने पर ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। **<u>अधिमानी अर्हताएंः</u>—**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसनेः— (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "**बी**" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
	61.2	कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	**04** [(SC-04)] **(कनिष्ठ सहायक)** आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200 **ग्रेड वेतन—रु 2,000**	**<u>शैक्षिक अर्हताएं—</u>** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

61.3	सिचांई विभाग	**03** [(SC-01, SC(WO)-01, ST-01)] **(कनिष्ठ सहायक)** **(मुख्य अभियन्ता संवर्ग)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,000**	**शैक्षिक अर्हताएं–** 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यनूतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घन्टा की गति अनिवार्य। **अधिमानी अर्हताएंः–** (i) अंग्रेजी टंकण/कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान। (ii) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) नेशनल कैडेट कोर का ''**बी**'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
61.4	सिचांई विभाग	**03** [(SC-01, SC(WO)-01, ST-01)] **(कनिष्ठ सहायक)** **(मण्डलीय)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,000**	**शैक्षिक अर्हताएं–** 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यनूतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घन्टा की गति अनिवार्य। **अधिमानी अर्हताएंः–** (i) अंग्रेजी टंकण/कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान। (ii) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) नेशनल कैडेट कोर का ''**बी**'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
61.5	सिचांई विभाग	**26** [(ST-01, OBC-14, OBC(WO)-08, OBC(DFF)-01, OBC(EX)-01, OBC(PH)-01)] **(कनिष्ठ सहायक)** **(खण्डीय)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,000**	**शैक्षिक अर्हताएं–** 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यनूतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घन्टा की गति अनिवार्य। **अधिमानी अर्हताएंः–** (i) अंग्रेजी टंकण/कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान। (ii) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) नेशनल कैडेट कोर का ''**बी**'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

• कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल में वाहन चालक के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–				
पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
62	62.1	कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	**02** [(SC-02)] **(वाहन चालक)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 1,900**	**शैक्षिक अर्हताएंः–** किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से जूनियर हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

• सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 03 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–				
पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
63	63.1	सिंचाई विभाग	**03** [(SC-01, SC(WO)-01, ST-01)] **(वैज्ञानिक सहायक)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,800**	**शैक्षिक अर्हताएंः–** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भैतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक की उपधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **अधिमानी अर्हताएंः–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसनेः– (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का **''बी''** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

• सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के रिक्त 08 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–				
पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
64	64.1	सिंचाई विभाग	**08** [(SC-06, SC(WO)-02)] **(नलकूप चालक)** आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 1,900**	**शैक्षिक अर्हताएंः–** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अधिमानी अर्हताएंः–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसनेः– (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का **''बी''** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

● सिंचाई विभाग में नलकूप मिस्त्री के रिक्त 04 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–				
पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
65	65.1	सिंचाई विभाग	**04** [(SC(WO)-01, ST-01, OBC-01, OBC(WO)-01)] **(नलकूप मिस्त्री)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,400**	**शैक्षिक अर्हताएं:–** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा आई0टी0आई0 / वायरमैन्स के साथ 05 वर्ष का अनुभव।

● सिंचाई विभाग में कार्यपर्यवेक्षक के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–				
पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
66	66.1	सिंचाई विभाग	**02** [(ST-01, ST(WO)-01)] **(कार्यपर्यवेक्षक)** आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 1,900**	**शैक्षिक अर्हताएं:–** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अधिमानी अर्हताएं:–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:– (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का **''बी''** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

● सिंचाई विभाग में सहायक भण्डारपाल के रिक्त 08 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–				
पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
67	67.1	सिंचाई विभाग	**08** [(SC-03, SC(WO)-01, ST-01, OBC-03)] **(सहायक भण्डारपाल)** आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 1,900**	**शैक्षिक अर्हताएं:–** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अधिमानी अर्हताएं:–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:– (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का **''बी''** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

● सिंचाई विभाग में सींचपाल के रिक्त 04 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
68	68.1	सिंचाई विभाग	**04** [(SC-02, SC(WO)-01, OBC-01)] **(सींचपाल)** आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 1,900**	**शैक्षिक अर्हताएंः–** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अधिमानी अर्हताएंः–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसनेः– (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का "**बी**" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

● सिंचाई विभाग में राजस्व सहायक के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
69	69.1	सिंचाई विभाग	**02** [(SC-01, ST-01)] **(राजस्व सहायक)** आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,000**	**शैक्षिक अर्हताएंः–** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **अधिमानी अर्हताएंः–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसनेः– (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का "**बी**" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

● विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
70	70.1	सिंचाई विभाग	**01** [(OBC-01)] **(वैयक्तिक सहायक)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,800**	**शैक्षिक अर्हताएंः–** **1.** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यनूतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घन्टा के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0ए0सी0सी सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।) **अधिमानी अर्हताएंः–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसनेः–

				(i) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान। (ii) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) नेशनल कैडेट कोर का "**बी**" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
	70.2	राजकीय मुद्रणालय	**01** [(SC-01)] **(वैयक्तिक सहायक)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,800**	**शैक्षिक अर्हताएं:– 1.** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यनूतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घन्टा होना अनिवार्य है।

● मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक के रिक्त 06 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
71	71.1	मत्स्य विभाग	**06** [(SC(WO)-01, OBC-02, OBC(WO)-02, OBC(UAK)-01)] **(मत्स्य निरीक्षक)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,800**	**शैक्षिक अर्हताएं:–** किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि या जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हताएं:–**अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने:– (i) सैन्ट्रल इनलैण्ड फिशरीज रिसच्र इन्सटीटयूट बैरकपुर से इनलेण्ड फीशरीज ट्रेनिंग कोर्स का प्रमाण–पत्र। या सैन्ट्रल इन्स्टीटयूट ऑफ फीशरीज एजुकेशन मुबई से डिप्लोमा। (ii) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या नेशनल कैडेट कोर का "**बी**" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

● राजकीय मुद्रणालय में मशीन सहायक आफसेट के रिक्त 03 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
72	72.1	राजकीय मुद्रणालय	**03** [(SC-01, SC(WO)-01,	**शैक्षिक अर्हताएं:– 1.** किसी माध्यमिक शिक्षा परिषद् से हाईस्कूल परीक्षा

			OBC-01)] **(मशीन सहायक आफसैट)** आयु सीमा– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,400**	उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक है। 2. शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन ऑफसैट प्रिन्टिंग मशीन मैन के रूप में एक अर्ह शिक्षु या किसी ख्याति प्राप्त फर्म में आफमैट प्रिन्टिंग मशीन का दो वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान।

• प्राविधिक शिक्षा परिषद् में बिल क्लर्क/कैशियर/डाटा इन्ट्री आपरेटर के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

पद कोड	उप–कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
73	73.1	प्राविधिक शिक्षा परिषद्	**01** [(SC-01)] **(बिल क्लर्क/कैशियर/डाटा इन्ट्री आपरेटर)** आयु सीमा– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड–रु 5,200–20,200 **ग्रेड वेतन–रु 2,000**	**शैक्षिक अर्हताएं:– 1.** माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा और बिल क्लर्क पद के लिए वाणिज्य (लेखा शास्त्र विषय के साथ) इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 (Key Depression) प्रति घन्टे की गति। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जो अंग्रेजी टंकण जानता हो।

1. **आयु सीमा:** (1) अधिकतम आयु सीमा में छुट :

(क) शा0सं0– 1399/ XXX (2)/2015 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिय (केवल चिन्हित पदो के अनुसार9 उच्चतम् आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट अनुमन्य है।) **(शा0 सं0 – 1673/XXX (2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010)।**
उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
(शा सं0 –1244/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छूक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम् आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित सभी आंदोलनकारियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी। **(शा0सं0 –1270/तीस–2/2004 दि0 11 अगस्त, 2004, शा0सं0–776/XX (4)–26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर, 2008, शा0सं0–777/XX (4)–26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा0सं0–637/XX (4)–26/उ0आन्दो0/2006–09 (गृह अनुभाग–4) दि0 13 अगस्त, 2010)।**

2. **शारीरिक स्वस्थता–** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूा से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेत की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय– तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्ववस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आपेक्षित होगा।

3– <u>सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण</u>:– समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। **(शासनादेश संख्या – 72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014)**

शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवार्स कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

4– **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:–ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामलें में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और से इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

5– चरित्र:– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

6– वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7–**आरक्षणः**–(1) **ऊर्ध्व आरक्षरण–** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण**– उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i)**''पूर्व सैनिक''** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii)**''शारीरिक रूप से विकलांग''** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो–(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणह्रास (तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

टिप्पणीः– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

(iii)''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोटः–(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के साक्ष्य में इस विज्ञापन के परिशिष्ट–01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। जब भी उनसे अपेक्षा की जायेगी तब उसे आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

8– शुल्क :– ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन **(Net Banking/Debit or Credit Card)** के माध्यम से जमा कर सकता है। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है **तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।** जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र0सं0	**श्रेणी**	**शुल्क प्रतिपद**
01	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 300/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 150/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	रू0 150/– मात्र
04	उत्तराखण्ड विकलांग(दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रू0 150/– मात्र

9– लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

क्र0सं0	**पद का नाम**	**पाठ्यक्रम**
1.	कम्प्यूटर सहायक /कनिष्ठ सहायक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**

2.	वाहन चालक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान तथा वाहन चालन** के प्राविधिक ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा की प्रवीणता सूची से, **एक पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यार्थियों को वाहन चालन परीक्षा (ड्राइविंग टेस्ट)** हेतु आमांत्रित किया जायेगा।
3.	वैज्ञानिक सहायक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
4.	नलकूप चालक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
5.	नलकूप मिस्त्री	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
6.	कार्यपर्यवेक्षक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
7.	सहायक भण्डारपाल	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
8.	सींचपाल	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
9	राजस्व सहायक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
10	वैयक्तिक सहायक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।** 1. अंग्रेजी आशुलिपिक 80 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य हैं। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 Key Depression प्रति घण्टा घण्टा की गति अनिवार्य है।
11.	मत्स्य निरीक्षक	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**
12.	मशीन सहायक आफसैट	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के**

		एक प्रश्न पत्र होगा।
13.	बिल क्लर्क / कैशियर / डाटा इन्ट्री आपरेटर	चयन के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा हेतु **सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा पद की वंछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय के एक प्रश्न पत्र होगा।**

(i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ लें जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगाः–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी को केवल एक **Correct/Best** विकल्प का चुनाव करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) तथा नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा (शासनादेश संख्या 1420/XXX(2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011)। (उक्त की दशा में अगर किसी पद के लिए दो लिखित परीक्षाएं होती है तो दो लिखित परीक्षाओं में अलग–अलग प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतालीस–पैंतालीस प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतीस–पैंतीय प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा)।

केन्दीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आनलाईन आवेदन पत्र में विभागाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी अनापात्ति प्रमाण–पत्र (NOC) उल्लेख करना होगा, व किसी भी अभ्यर्थी के विरूद्व कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है तथा NOC की मूल प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगे।

10– उपरोक्त पदों हेतु अन्तिम चयन लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा किन्तु जिन पदों पर आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जानी है। उनके लिए अभ्यर्थी को उक्त आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्तिम चयन आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से केवल लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी आयु के आधार पर मैरिट का निर्धारण होगा।

11– अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12– ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि– 12 नवम्बर, 2016

13– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि– 14 नवम्बर, 2016

14– रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

अतिमहत्वपूर्ण सूचना–

1. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे विभागों के पृथक–पृथक पदों (पदकोड) हेतु पृथक–पृथक शुल्क जमा कर पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी पृथक–पृथक विभागों के एक ही प्रकृति/पदकोड के पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र में विभागों को क्रमानुसार वरीयता क्रम में स्वंय भरना/इंगित करना अनिवार्य होगा।
3. उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सरकारी नौकारी में 10% आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रकरण वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में किया जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही आन्दोलनकारियों को वाँछित आरक्षण का लाभ दिये जानें पर विचार किया जायेगा।
4. **परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।**
5. दृष्टिहीनता या कम दृष्टि विकलांग व्यक्तियों/अभ्यर्थियों के लिए बीस मिनट का अतिरिक्त समय और प्रश्न–पत्र से रेखागणित और गणित के अपवर्जन का उपलंध किया जाएगा और रेखगणित तथा गणित के स्थान पर कुछ अनुकल्प प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा।

(डा0 एम0एस0 कन्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन न० 0135—2669658

पत्रांक— 676/परीक्षा—विज्ञप्ति/2016 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

।। विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत बैकलॉग के रिक्त पदों की विज्ञप्ति।।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में बैकलॉग में रिक्त समूह 'ग' के 85 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवदेन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1.	कम्प्यूटर सहायक/कनिष्ठ सहायक	39
2.	वाहन चालक	02
3.	वैज्ञानिक सहायक	03
4.	नलकूप चालक	08
5.	नलकूप मिस्त्री	04
6.	कार्यपर्यवेक्षक	02
7.	सहायक भण्डारपाल	08
8.	सींचपाल	04
9.	राजस्व सहायक	02
10.	वैयक्तिक सहायक	02
11.	मत्स्य निरीक्षक	06
12.	मशीन सहायक आफसैट	03
13.	बिल क्लर्क/कैशियर/डाटा इन्ट्री आपरेटर	01
योग		**84**

इस सम्बन्ध में विस्तृत **विज्ञापन संख्या 07/उ0अ0से0च0आ0/2016 दिनांक 13 अक्टूबर, 2016** को आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर अपलोड/प्रसारित किया जा रहा है।

ऑनलाइन आवदेन पत्र (Online Application) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है:—

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 (Thursday)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि	दिनांक 14 अक्टूबर 2016 (Friday)
ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 12 नवम्बर, 2016 (Saturday)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक 14 नवम्बर, 2016 (Monday)

(डा0 एम0एस0 कन्याल)
सचिव